



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 20 जनवरी, 2020 ई0
पौष 30, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 32/XXXVI (3)/2020/63(1)/2019
देहरादून, 20 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019’ पर दिनांक 16 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 11 वर्ष, 2020 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड राज्य में फल पौधशालाओं के अनुज्ञा पत्र देने और उनके विनियमन का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो;

- संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019" है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी जो अपर सचिव से निम्नतर पंक्ति का न हो, अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत वांछित कार्य करने हेतु शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त/नामांकित किया गया हो, अभिप्रेत है;

(ग) "निदेशक" से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(घ) "फल पौधशाला" से कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहाँ फल की पौधों का प्रवर्धन, प्रबन्धन और विक्रय कारोबार के नियमित अनुक्रम में किया जाता है एवं इसके अन्तर्गत व्यवसायिक टिश्युकल्चर इकाई/लैब एवं सरकार द्वारा प्रबन्धित फल पौधशाला भी सम्मिलित है;

- (ड) "फल की पौध" से ऐसे पौधे अभिप्रेत हैं जो खाने योग्य फल या गिरीदार फल उत्पादित कर सकें और इसके अन्तर्गत गूटी (gootee), बीजू पौधे (seedlings) कलम (graft), भूस्तारी (suckers) दाब डाली (layer), कन्द (bulb), प्रकन्द (rhizomes) और ऐसे किसी पौधे की कलम (scion) भी सम्मिलित है;
- (च) "निरीक्षक अधिकारी" से विभाग के तकनीकी अधिकारी, जो वर्ग-1 के अधिकारी से निम्नतर पंक्ति का न हो अभिप्रेत है;
- (छ) "अनुज्ञा पत्र" से इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अनुज्ञा पत्र अभिप्रेत है;
- (ज) "अनुज्ञा पत्र धारक" से तत्समय अनुज्ञा पत्र धारक अभिप्रेत है;
- (झ) "अनुज्ञापति प्राधिकारी" से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण चौबटिया, रानीखेत अभिप्रेत है;
- (ञ) "पौधशाला स्वामी" से किसी फल पौधशाला के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसका ऐसी पौधशाला के कार्यकलाप पर अन्तिम नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत ऐसी पौधशाला का प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता, कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति या शासकीय पौधशाला के नियंत्रक प्राधिकारी (ए०डी०ओ०/अधीक्षक/पौधशाला विकास अधिकारी/जिला/मुख्य उद्यान अधिकारी अथवा प्रभारी, पौधशाला) भी सम्मिलित है;
- (ट) "विहित" से इस अधिनियम के अन्तर्गत बचाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ठ) "मूलवृन्त (root-stock)" से कोई ऐसी फल की पौध या उसका भाग अभिप्रेत है जिस पर उच्च गुणवत्ता युक्त किसी फल की पौध के किसी भाग की कलम या आँख लगाई जाती है;
- (ड) "उपरोपिका (scion)"/"शांकुर शाख (budwood)" से किसी फल पौध का ऐसा भाग अभिप्रेत है जो मूलवृन्त (root-stock) पर आँख के रूप में लगाया जाता है;

(ढ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

फल पौधशाला का अनुज्ञा पत्र

3. (1) कोई भी व्यक्ति/प्राधिकारी इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के पश्चात् या उस दिनांक से जब वह किसी फल पौधशाला का प्रथम बार स्वामी बनता हो, उसमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, तीन माह की समाप्ति के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा पत्र के बिना फल पौधशाला का कारोबार संचालित नहीं करेगा और न ही उसे जारी रखेगा। अधिनियम के प्रवृत्त होने से तीन माह के भीतर सभी विद्यमान फल पौधशालाओं को अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) जहाँ एक व्यक्ति/संस्था के स्वामित्व में एक से अधिक फल पौधशालाएँ हों, चाहे एक ही नगर या ग्राम में हो या विभिन्न नगरों या ग्रामों में हो, वहाँ ऐसी प्रत्येक फल पौधशाला के लिए अलग-अलग अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा।

अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन

4. (1) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुज्ञा पत्र हेतु ऐसा प्रत्येक आवेदन अनुज्ञापति प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में और विहित फीस के साथ दिया जायेगा।

(2) अनुज्ञा पत्र हेतु किये गये आवेदन के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों की सत्यता हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा पौधशाला का निरीक्षण किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञा पत्र नहीं दिया जायेगा, यदि अनुज्ञापति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि—

(क) वह फल पौधशाला ऐसे फल के पौधों के लिये, जिनके संबंध में अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिए आवेदन किया गया है, उन्नत उत्पादन के लिये उपयुक्त नहीं है; अथवा

(ख) आवेदक ऐसे फल पौधशाला को संचालित करने के लिए सक्षम नहीं है; अथवा

(ग) आवेदन-पत्र के साथ विहित शुल्क जमा नहीं किया गया है; अथवा

(घ) आवेदक इस अधिनियम या इसके के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ है।

(4) आवेदक को उद्यान कार्ड एवं आधार कार्ड धारक होना आवश्यक होगा।

(5) अनुज्ञा पत्र धारक इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों या अनुज्ञा पत्र की शर्तों के अधीन विहित प्रपत्रों के विभिन्न अभिलेख पौधशाला में संरक्षित रखेगा।

(6) अनुज्ञा पत्र धारक को अनुज्ञा पत्र लेने के पश्चात् राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारत सरकार से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

अनुज्ञा पत्र की शर्तें

5. (1) पौधशाला स्वामी को पौधशालाओं से सम्बन्धित सामान्य शैक्षिक ज्ञान होना आवश्यक होगा।

(2) 1.0 हे० अथवा 1.0 हे० से अधिक के फल पौधशाला स्वामी/ अनुज्ञा पत्र धारक को उद्यान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के किसी संस्थान अथवा राज्य के कृषि/औद्योगिक विश्वविद्यालयों, से पौधशाला प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पौधशाला प्रबन्धन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा इसकी अनुशंसा की जायेगी।

(3) फल पौधशाला स्वामी के पास न्यूनतम, 0.20 हे० निजी भूमि अथवा तीस वर्ष के लिये पंजीकृत पट्टा भूमि होनी आवश्यक है और साथ ही 0.20 हे० भूमि वाली पौधशाला के लिए एक फसल से अधिक के लिए अनुज्ञा पत्र नहीं दिया जायेगा:

परन्तु यह कि पर्वतीय क्षेत्रों में फल पौधशाला स्वामी के पास न्यूनतम 0.10 हे० भूमि का होना आवश्यक होगा।

(4) फल पौधशाला की स्थापना हेतु मातृवृक्ष खण्ड का होना (mother block) आवश्यक होगा।

(5) फल पौधशाला की स्थापना हेतु मृदा, जलवायु एवं फल पौध प्रवर्धन के लिए निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञप्ति दी जायेगी।

अनुज्ञा पत्र की वैधता अवधि
और उसका नवीनीकरण

6. (1) धारा 4 के अधीन दिया गया अनुज्ञा पत्र तीन कैलेण्डर वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। इस निमित्त निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र और विहित शुल्क देने पर अनुज्ञापति प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र अगले दो वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(2) अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र व निर्धारित शुल्क जमा करने एवं अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने के पूर्व पौधशाला से सम्बन्धित 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अनुज्ञापति प्राधिकारी द्वारा अगले दो वर्ष के लिये किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत नहीं किया जायेगा, यदि अनुज्ञापति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि:-

(क) अनुज्ञा पत्र धारक ने धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों का या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या अनुज्ञा पत्र के निबन्धनों और शर्तों के किसी उपबन्ध का जानबूझ कर उल्लंघन किया है, या

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है।

अनुज्ञा पत्र का निलम्बन या
निरस्त किया जाना

7. (1) इस अधिनियम के अधीन किया गया अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञापति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या रद्द किया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि:-

(क) धारा 4 की उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है; अथवा

(ख) अनुज्ञा पत्र धारक ने फल पौधशाला पर अधिकार या नियंत्रण पूर्णतः या अंशतः छोड़ दिया है या उसका संचालन बन्द कर दिया है; अथवा

(ग) अनुज्ञा पत्र धारक/पौधशाला स्वामी द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्तों एवं अधिनियम के उपबन्धों का पालन न किया गया हो; अथवा

- (घ) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा 'इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख एवं पंजिकायें मांगे जाने पर यदि अनुज्ञा पत्र धारक अभिलेख/पंजिकाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं या उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करते हैं; अथवा
- (ङ) निर्धारित समय में अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया गया है; अथवा
- (च) कोई अन्य सुसंगत विधिक कारण विद्यमान है।

- (2) अनुज्ञा पत्र का निलम्बन या निरस्त किये जाने का आदेश जारी होने के पश्चात् अनुज्ञा पत्र धारक अनुज्ञा पत्र संबंधित प्राधिकारी को वापस करेगा।
- (3) जहाँ कोई अनुज्ञा पत्र निलम्बित या निरस्त किया जाता है, वहाँ अनुज्ञा पत्र धारक न तो किसी प्रतिकर का और न ही अनुज्ञा पत्र के लिए उसके द्वारा दिये गये किसी शुल्क की वापसी का हकदार होगा।
- (4) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा तब तक कोई कार्यवाई नहीं की जायेगी जब तक अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
- (5) उपधारा (1) के अधीन जारी किये जाने वाले प्रत्येक आदेश की प्रति अनुज्ञा पत्र धारक को प्रेषित की जायेगी।

आदेश जारी करना

8. (1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3)के अधीन अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार करने अथवा धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने से इन्कार करने अथवा धारा 7 के अधीन अनुज्ञा पत्र को निलम्बित अथवा निरस्त करने का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा, और उसमें उसके समर्थन में कारण दिये जायेंगे। ऐसा प्रत्येक आदेश निर्गत करने के पूर्व अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, आवेदक या अनुज्ञा पत्र धारक को यथास्थिति, 30 कार्यदिवस के भीतर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश देने के पूर्व अनुज्ञप्ति प्राधिकारी यथास्थिति, आवेदक

- या पंजीकृत पौधशाला स्वामी, को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति** 9. यदि धारा 4 के अधीन जारी अनुज्ञा पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या किसी अन्य प्रकार से पढ़ने योग्य न रह जाय, तो पौधशाला स्वामी द्वारा आवेदन किये जाने पर और विहित शुल्क जमा करने पर अनुज्ञापति प्राधिकारी अनुज्ञा पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा।
- अपील** 10. (1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा पत्र जारी करने से इन्कार करने या धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उसे नवीनीकृत करने से इन्कार करने या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन निलम्बित या निरस्त करने के लिये अनुज्ञापति प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना की दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा:
- परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी किसी युक्तियुक्त कारण से विनिर्दिष्ट अवधि में अपील नहीं कर सका था।
- (2) अपीलीय प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।
- (3) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश धारा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।
- राज्य सरकार की अभिलेख मंगाने की शक्ति** 11. राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश की वैधता एवं औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगी और उसका परीक्षण कर सकेगी तथा उस पर ऐसा आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे:

परन्तु यह कि राज्य सरकार धारा 10 के अधीन किसी अपील के विचाराधीन रहते हुए या ऐसी अपील के लिए निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के पूर्व इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी:

परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार स्वप्रेरणा से किसी मामले के अभिलेख माँगती है, तो इस धारा के अधीन कोई आदेश जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, तब तक नहीं देगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

अनुज्ञा पत्र धारक के कर्तव्य 12.

अनुज्ञा पत्र धारक/पौधशाला स्वामी का यह कर्तव्य है कि वह—

- (एक) उत्पादन और विक्रय के लिए उपरोपिका (scion)या मूलवृन्त(root-stock)से संबंधित अनुज्ञा पत्र में अंकित किस्मों में से केवल ऐसी किस्मों के फल की पौधों का ही प्रवर्धन करेगा, जैसा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी निर्देश दे;
- (दो) प्रत्येक मूलवृन्त (root-stock)और उपरोपिका (scion) के मूल स्रोत का पूर्ण अभिलेख रखेगा, जिसमें मूलवृन्त का वानस्पतिक नाम और स्थायीय नाम, यदि कोई हो, भी होगा;
- (तीन) फल की पौध एवं अन्य पौध जिनका वानस्पतिक प्रवर्धन तकनीकी द्वारा प्रसारण किया जाना है, का मातृवृक्ष खण्ड रखेगा जिसके अन्तर्गत उसी प्रकार के प्रजातिवार पौध उच्च प्रबन्धन में अनुरक्षित होंगी;
- (चार) केवल उन्हीं पौधों एवं प्रजातियों का वानस्पतिक प्रवर्धन करेगा, जिसका उसके पास मातृवृक्ष हो तथा पौधाशाला में प्रवर्धित पौधों की अधिकतम संख्या मातृवृक्ष खण्ड (mother block) में ऐसे प्रजाति/पौध की संख्या पर निर्भर करेगी;
- (पांच) फल पौध प्रवर्धन हेतु नवीनतम अनुमोदित तकनीकों का उपयोग करेगा तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेगा;

- (छ) प्रवर्धित फल की पौधों में प्रजाति/पौध मिश्रण नहीं करेगा। अतः प्रवर्धन के समय तकनीकों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा;
- (सात) फल की पौधों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त पौधशाला स्थल एवं मातृवृक्ष को कीट एवं व्याधियों से मुक्त रखेगा;
- (आठ) केवल ऐसे फल की पौधों का विक्रय या वितरण करेगा, जो किसी भी प्रकार के कीट एवं रोगों से मुक्त हो;
- (नौ) अधिनियम एवं विहित उपबंधों में उल्लिखित अनुबन्धों या स्वतः घोषणा के अधीन ही पौध रोपण सामग्री किसानों, उद्यान विभाग एवं अन्य विभागों को विक्रय करेगा;
- नयी खोज का पेटेंट 13.** फल पौधों की कोई नयी प्रजाति खोजे जाने पर फल पौधशाला स्वामी द्वारा उसके पेटेंट की व्यवस्था के लिये आवश्यक प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- लेखा बही एवं रजिस्टर का 14. रख-रखाव** प्रत्येक अनुज्ञा पत्र धारक/ पौधशाला स्वामी ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से लेखाबही, रजिस्टर और अभिलेख रखेगा जो विहित की जाय। ऐसे प्रपत्रों को दस वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- पौधशाला का निरीक्षण एवं 15. जाँच** (1) स्वस्थ एवं उच्च गुणवत्ता युक्त पौध उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षक अधिकारी फल पौधशाला का निरीक्षण कर सकेगा तथा इस संबंध में अपनी लिखित संस्तुति/निर्देश जारी कर सकेगा।
- (2) निरीक्षक अधिकारी निरीक्षण के समय कीट एवं व्याधियों की स्थिति को देखते हुए संकमित पौध एवं वृक्षों को निर्धारित समय के भीतर नष्ट करने के निर्देश जारी कर सकेगा।
- (3) यदि निरीक्षक अधिकारी द्वारा विहित समय में उप-धारा (2) में दी गयी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो विभाग स्वयं ऐसी पौध एवं वृक्षों को नष्ट करने की कार्यवाही कर सकेगा तथा इस प्रक्रिया में होने वाले

व्यय का वहन पौधशाला स्वामी करेगा, जिसकी वसूली राजस्व विभाग के माध्यम से भू-राजस्व के बकाये की वसूली की भांति की जा सकेगी।

- (4) उपधारा (2) एवं (3) के अधीन की कार्यवाही किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- (5) अनुज्ञा पत्र धारक/पौधशाला स्वामी को बिक्री योग्य वर्षाकालीन पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता की सूचना माह मई तक एवं शीतकालीन पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता की सूचना माह अक्टूबर तक अपने जिले के मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करानी होगी।
- (6) अनुज्ञा पत्र धारक/पौधशाला स्वामी द्वारा बिक्री योग्य फल की पौधों की उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं जैसे-पौधों की आयु, पौधों की संरचना, मातृवृक्षों की संख्या एवं आनुवांशिक विवरण, मूलवृत्त (root-stock) तथा उपरोपिका (Scion) (यदि अन्य फल पौधशाला /संस्थाओं से प्राप्त किये गये हैं) का सत्यापन गठित विभागीय समिति द्वारा फल पौधशाला स्तर पर किया जायेगा, जिसकी आख्या समिति निदेशक, उद्यान को उपलब्ध करायेगी।
- (7) समिति के सत्यापन के बाद ही फल पौधशाला से फल की पौधों की खुदान की जायेगी अन्यथा पौधों के अधिप्राप्ति हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

पौधों की बिक्री, पैकिंग एवं 16. लेबिल लगाना

- (1) फलों के विक्रय हेतु फल की पौधों के प्रत्येक बण्डल की समुचित रूप से पैकिंग करते हुए लेबिल लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर फल की पौध एवं प्रजाति का नाम अंकित हो।
- (2) यदि बण्डल या पैकेट में एक से अधिक प्रकार की पौध एवं प्रजाति हों, तो प्रत्येक पौध पर लेबिल लगाया जायेगा।
- (3) मातृवृक्ष खण्ड में भी समुचित रूप से लेबिल /बोर्ड लगाया जायेगा।

- (4) फल पौधशाला की एक क्यारी में एक ही प्रजाति के पौध रोपण/प्रवर्धन किये जायेंगे तथा उस क्यारी में एक छोटा बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर प्रजाति का नाम अंकित होगा।
- (5) यदि पौधशाला स्वामी अपनी फल पौधशाला के अतिरिक्त राज्य के किसी अन्य फल पौधशाला से फल की पौध बिक्री के प्रयोजन हेतु प्राप्त करता है तो उसे उस पौधशाला स्वामी से रु100(सौ रूपए) के स्टाम्प पेपर पर फल की पौधों की आनुवांशिक विशिष्टताओं, अपनाई गई तकनीकों, कीट-व्याधि रहित होने आदि की स्वतः घोषणा प्राप्त करनी होगी।
- (6) पौध सामग्रियों के सम्बन्ध में शासकीय एवं राज्य में स्थापित गैर शासकीय सभी पौधशालाओं के लिए यह आवश्यक है कि वह जिन भी माध्यमों से पौध सामग्री खरीदें वे लाभप्रद हो यदि वह लाभप्रद न पाई जाये तो उनके लिए भी अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

कतिपय फल की पौधों का 17.
आयात-निर्यात या परिवहन
को विनियमित या प्रतिषिद्ध
करने की राज्य सरकार की
शक्ति

राज्य सरकार, राज्य के किसी भाग में उगाये गये किसी फल की पौधों की प्रजाति एवं विशेषता को बनाये रखने या हानिकारक कीट या पौधों के रोग से उनका संरक्षण करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, अज्ञात नस्ल के या किसी संक्रामक रोग या सांसर्गिक नाशीकीट या रोग से प्रभावित किन्हीं फल के पौधों को राज्य या उसके बाहर ले जाने या राज्य के भीतर उनका परिवहन करने को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

अपराध एवं दण्ड

18. (1)

पौधशाला स्वामी जो अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, वह प्रथम दोष सिद्धि पर रु0 50,000 (रूपयें पचास हजार) तक का जुर्माना तथा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने कि दशा में छह माह तक का कारावास

से दण्डित किया जायेगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में 6 माह तक का कारावास तथा रू0 50,000(रूपये पचास हजार) तक के जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की परिशिष्ट-1 के प्रस्तर 6 के अनुपालन में किसान के समस्त प्रतिकरों का भुगतान भी सम्बन्धित पौधशाला स्वामी द्वारा किया जाएगा। प्रतिकर का निर्धारण मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा।

- (2) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई कम्पनी अपराध करती है तो अपराध के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी या कम्पनी के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार कार्यवाही और दण्ड का भागी होगा:

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

- (3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या ऐसा अपराध उनकी उपेक्षा से हुआ है तो वह सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे।

स्पष्टीकरण:-

इस धारा के प्रयोजन के लिये-

- (क) 'कम्पनी' से कोई निगमित निष्काय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम अभिप्रेत है, और
- (ख) किसी फर्म के संबंध में 'निदेशक' से उस फर्म के भागीदार अभिप्रेत है।
- अपराध का संज्ञान 19. इस अधिनियम के अधीन इण्डनीय किसी अपराध के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी परिवाद के सिवाय कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।
- अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की शक्तियाँ 20. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी:
- (1) किसी अनुज्ञा प्राप्त पौधशाला स्वामी से उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा चलाई जा रही फल पौधशाला के संबंध में ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करें।
- (2) यह समाधान करने के लिए कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है, किसी फल पौधशाला में प्रवेश कर सकेगा और उसका और उसमें स्थित पौधों एवं उससे सम्बन्धित लेखाबही और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा या करा सकेगा।
- (3) फल के पौधों का नमूना ले सकेगा और उसका विश्लेषण, परीक्षण या जांच इस प्रयोग के लिए निश्चित की गई किसी प्रयोगशाला में करा सकेगा।
- सदभाव से किये गये कार्यों का संरक्षण 21. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावपूर्वक किये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।
- (2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभाव से किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य से हुई क्षति या सम्भाव्य क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

किसानों का प्रशिक्षण

22.

राज्य में किसानों को क्षेत्र विशेष की जलवायु की अनुकूलता के अनुसार औद्योगिक क्रियाकलापों विशेषकर फल पौधों की पौधशाला तैयार करते समय अपनाई जाने वाली उन्नत तकनीकों, बारीकियों एवं विशिष्टियों से भिन्न कराने हेतु विभाग द्वारा आस-पास की सजकीय फल पौधशालाओं में शैक्षिक भ्रमण (Exposure Visit) एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा जिससे किसान यदि स्वयं किसी फल पौधशाला से फल पौध क्रय करना चाहें, तो वह विशिष्ट एवं गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री बिल सहित खरीदने में सक्षम हो सके।

नियम बनाने की शक्ति

23. (1)

इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन कर सकेगी, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में फीस विहित करने के नियम भी सम्मिलित है।

(2)

इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

सिविल न्यायालय में वाद का वर्जन

24.

इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी शक्ति के प्रयोग में दिये गये किसी आदेश पर किसी सिविल न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा निर्देश

25.

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में नीति सम्बन्धी विषयों पर राज्य सरकार के ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर जारी करें।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

26. (1)

यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो।

निरसन और व्यावृत्ति

27.

(2)

और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उस आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

इस द्वारा क्रे अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

(1)

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2)

ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी या किया गया समझा जायेगा।

परिशिष्ट-1

पौधशाला स्वामी द्वारा स्वतः घोषणा

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी.....
..... घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपनी फल पौधशाला में उत्पादित फल के पौधों का प्रवर्धन एवं विक्रय निम्नलिखित घोषणाओं के अधीन करूँगा/करूँगी:-

1. मेरे द्वारा उन्हीं प्रजातियों के फल पौधों के मूलवृन्त एवं उपरोपिका का प्रयोग पौध प्रवर्धन और बिक्री के लिए किया जायेगा, जिसके लिए फल पौधशाला अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किये जायेंगे।
2. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्ररूप में सम्पूर्ण अभिलेख अनुरक्षित रखे जायेंगे।
3. मेरे द्वारा फल पौधशाला में उगाये जाने वाले मूलवृन्त एवं मातृवृक्षों का 'ले-आउट' तैयार किया जायेगा।
4. मेरे द्वारा फल पौधशाला प्रक्षेत्र के साथ-साथ पौध प्रवर्धन में प्रयुक्त होने वाले मातृवृक्षों को कीट एवं व्याधियों से मुक्त रखा जायेगा।
5. मेरे द्वारा बिक्री के समय की जाने वाली पैकिंग में पैक की गई प्रजाति/प्रजातियों की टैगिंग की जायेगी, जिसमें इन प्रजातियों के प्रवर्धन में उपयोग की गई मूलवृन्त एवं उपरोपिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।
6. मेरे द्वारा यह भी घोषणा की जाती है कि जिन पौधों का मेरे द्वारा विक्रय या वितरण किया जायेगा वह उसी प्रजाति के होंगे जिसकी संस्तुति मेरे द्वारा की गयी है तथा वह पूर्ण रूप से कीट एवं व्याधियों से मुक्त होंगे अन्यथा किसान के समस्त प्रतिकरों का वहन मेरे द्वारा किया जायेगा। प्रतिकर का निर्धारण अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा।
7. मेरे द्वारा फल पौधशाला में एक पंजिका अनुरक्षित रखी जायेगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेची/वितरित की गई फल के पौधों के प्रवर्धन उपयोग में लाई गई मूलवृन्त एवं उपरोपिका का नाम अंकित होगा साथ ही उस व्यक्ति या संस्था का भी नाम एवं पता दर्ज होगा, जिसको फल का पौधा बेचा गया है। मेरे द्वारा इन पंजिकाओं को कम से कम 10 वर्षों तक अनुरक्षित रखा जायेगा।
8. मेरे द्वारा पौधशाला निरीक्षण के उपरान्त फल के पौधों के स्वस्थ एवं रोग रहित पौधों के उत्पादन एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या उनके प्रतिनिधि के दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
9. मैं गुणवत्तायुक्त पौध प्रवर्धन एवं उनके विक्रय दर के लिए संस्तुति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।
10. फल पौधशाला में किये जा रहे कार्यो जैसे-पौधों के प्रवर्धन में प्रयुक्त मातृवृक्षों, मूलवृन्तों, कीट एवं व्याधियों, पौधों के वृद्धि एवं विकास, पौधों की गुणवत्ता एवं पौधों

की आनुवांशिक विशिष्टियों के संबंध में निरीक्षण किये जाने पर मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही निरीक्षण के दौरान कीट-ब्याधियों से ग्रस्त पौधों को निकालने या नष्ट करने के सुझाव दिये जायेंगे तो मैं ऐसे पौधों को नष्ट करने के लिये तैयार रहूँगा/रहूँगी, जिसके लिए मेरे द्वारा किसी प्रकार के प्रतिकर की माँग नहीं की जायेगी।

11. मेरे द्वारा फल पौधशाला के पंजीकरण में सम्मिलित फसलों के अतिरिक्त अन्य किसी फसल का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
12. मेरे द्वारा उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019 में दिये गये समस्त प्रावधानों एवं शर्तों का पालन किया जायेगा।
13. यदि मेरे द्वारा उपरोक्त कथन या उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 2019 में उल्लिखित प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन होता है तो अधिनियम में वर्णित दण्ड का भागीदारी बनेँगा/बनेँगी।

पौधशाला स्वामी के हस्ताक्षर.....

पौधशाला स्वामी का नाम.....

पौधशाला स्वामी के पिता/पति का नाम.....

फल पौधशाला का नाम एवं पता.....

दिनांक-

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

1. फल नर्सरी के नियमन के लिए उत्तर प्रदेश फल नर्सरी (विनियमन) अधिनियम, 1976 पूर्व राज्य उत्तर प्रदेश में लागू था। यह अधिनियम वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लागू था। यह अधिनियम वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86/87 के तहत उत्तराखण्ड राज्य में लागू है।
2. उत्तराखण्ड राज्य की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, फल नर्सरी के पंजीकरण, फलों के पौधों के प्रचार, नई खोजों के पेटेंट, फलों के पौधों की बिक्री आदि और उत्तराखण्ड राज्य में अन्य प्रावधानों से संबंधित प्रावधान करना अपरिहार्य है।
3. प्रस्तावित विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य को पूरा करता है।

सुबोध उनियाल
मंत्री

No. 32/XXXVI(3)/2020/63(1)/2019
 Dated Dehradun, January 20, 2020

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Fruit Nurseries (Regulation) Act, 2019' (Act No. 11 of 2020).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 16 January, 2020.

THE UTTARAKHAND FRUIT NURSERIES (REGULATION) ACT, 2019
 (Uttarakhand Act No. 11 of 2020)

AN

ACT

to make provision for the licenses and regulation of fruit nurseries in the State of Uttarakhand

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the seventieth year of Republic of India as follows:-

Short title, extent & Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Fruit Nurseries (Regulation) Act, 2019.
- (2) It extends to the whole State of Uttarakhand.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires: -
 - (a) "Appellate Authority" means Secretary, Horticulture Uttarakhand authorized by the State Government or any officer nominated by him, who is not below the rank of additional secretary to hear Appeals under this Act;

- (b) "Competent Authority" means an officer appointed/nominated by the State Government under this Act to perform the desired works, by notification in the Official Gazette;
- (c) "Director" means the Director, Horticulture & Food Processing, Uttarakhand;
- (d) "Fruit Nursery" means a place where propagation, management and sale of fruit plant are done in the regular course of business and It also includes Commercial Tissue Culture unit/lab. and nurseries managed by the Government;
- (e) "Fruit plant" means any plant, which can produce edible fruits or nuts and includes gootee, seedlings, grafts, suckers, layers, bulbs, rhizomes and scion of any such plant;
- (f) "Inspection Officer" means Technical officer of the department, who is not below the rank of Group-I officer;
- (g) "Licence" means licence granted by licensing authority under this Act;
- (h) "Licence holder" means any person holding a licence for the time being;
- (i) "Licensing Authority" means the Director of horticulture and food processing, Chaubattia, Ranikhet;
- (j) "Nursery Owner" in relation to a fruit nursery, means the person who, or the authority which has the ultimate control over the affairs of such fruit nursery and it also includes a manager, managing director, managing agent, any other person incharge of such fruit nursery or the controlling authority(A.D.O./ Superintendent/Nursery Development Officer/ District/ Chief Horticulture Officer/ or Nursery incharge) of a Government nursery;
- (k) "Prescribed" means prescribed by the rules framed under this Act;
- (l) "Root stock" means a fruit plants or part thereof on which any portion of a high quality fruit plant has been grafted or budded;
- (m) "Scion"/"bud wood" means a portion of a fruit plant which is grafted or budded on to a rootstock;
- (n) "State Government" means the Government of the State of Uttarakhand;

Licence of Fruit Nursery

3. (1) No person/Authority shall, after the expiry of three months from the date of commencement of this Act or from the date on which he becomes first time owner of a fruit nursery, whichever is later, conduct or carry on the business of fruit nursery without licence. It is necessary for all existing fruit nurseries to obtain licence within three months from the commencement of the Act.
- (2) Where more than one fruit nursery is owned by one person/organisation whether in the same town or village or in different towns or villages, separate licence shall have to obtained in respect of each such fruit nursery.

Application for Licence

4. (1) Every application for the licence under Section 3 of this Act, shall be made in the prescribed form to the Licensing Authority and shall be accompanied by the prescribed fee.
- (2) The inspection of the fruit nursery shall be done by the departmental committee constituted for the verification of testimonials submitted with the application for licence.
- (3) No licence, shall be granted under this Act, if it appears to the Licensing Authority that-
- (a) the fruit nursery is not suitable for the improved propagation of the fruit plants, in respect of which licence has been applied for; or
- (b) the applicant is not competent to operate such fruit nursery; or
- (c) the prescribed fee is not submitted with the application; or
- (d) the applicant has been convicted of any offence under this Act, or the rules made there under.
- (4) The applicant must be Udhyan Card and Aadhar Card holder.
- (5) The licence holder shall maintain various records of prescribed forms under the provision of this Act or the rules made there under or any of term and conditions of the licence, in the fruit nursery.
- (6) The licence holder, shall have to get Accreditation Certificate from the National Horticulture Board, Government of India, after obtaining licence.

Essential conditions of Licence

5. (1) The nursery owner must have general educational knowledge regarding nurseries.
- (2) Nursery owner/ licence holder of 1.0 hectare or more than 1.0 hectare shall be required to submit a certificate of training received from the Department of horticulture, any institute of Indian Council of Agricultural Research or State Agriculture/Horticulture Universities and it shall be recommended by the Department in respect of nursery management.
- (3) The nursery owner must have minimum 0.20 hectare land or registered leased land for 30 years and licence shall not be granted for more than one crop for the fruit nursery of land of 0.20 hectare:
- Provided that in hilly area the nursery owner must have minimum 0.10 hectare land.
- (4) A mother block is must for establishment of fruit nursery.
- (5) The licence shall be granted for the establishment of fruit nursery by keeping in the view the conditions for the soil, climate and fruit plant propogation.

Duration of Licence & its Renewal

6. (1) A licence under Section 4 shall be valid for three calendar years. On application made in this behalf on prescribed form and upon payment of the prescribed fee, licence may be renewed, by the Licensing Authority for next two years.
- (2) Renewal of the licence may be done by the Licensing Authority for two years after submission of application and prescribed fees in prescribed form and providing the certificate of the fifteen days training regarding the fruit nursery before the period of cessation of licence.
- (3) No licence shall be renewed under this Act if the Licensing Authority is satisfied that:-
- (a) The licence holder has wilfully committed a breach of the provision of subsection (1) of Section 4 of this Act or the rules made under this Act or any provision of the terms and conditions of the licence; or
- (b) any of the grounds mentioned in the sub section (3) of Section 4 exists.

Suspension or Cancellation of Licence

7. (1) A licence made under this Act may be suspended or cancelled by the Licensing Authority if he is satisfied that -
- (a) any of the ground mentioned in the subsection (3) of Section 4 exists; or
- (b) the license holder has wholly or partly left the possession or control of the fruit nursery or that he has ceased to run it; or
- (c) the licence holder/ the nursery owner has not compliance with the conditions of licence or the provisions of the Act ; or
- (d) if the licence holder did not provide or express his incapability to provide the necessary records and registers required by the Licensing Authority under the Act ; or
- (e) the licence is not being renewed within the prescribed period; or
- (f) any other relevant legal reasons exists; or
- (2) The licence holder shall surrender the licence certificate to the concerned authority after the order of cancellation or suspension of licence is issued.
- (3) Where any licence is suspended or cancelled, the licence holder shall not be entitled to any compensation nor he shall be entitled to any refund of any fee paid by him for the licence.
- (4) No action under subsection (1) shall be taken by Licensing Authority until the reasonable opportunity of being heard is given to the license holder.
- (5) A copy of every order issued under subsection(1) shall be forwarded to the licence holder.

Issuing the order

8. (1) Every order for refusal of licence under subsection (3) of Section 4 or refusal of renewal of licence under subsection (3) of Section 6, or suspension or cancellation of licence under Section 7 of the Act shall be in writing and reasons in support of it shall be given. Before issuing every such order the Licensing Authority shall give a opportunity of being heard to the applicant or license holder as the case may be, within 30 working days.
- (2) Before issuing any order under subsection (1) the Licensing Authority shall give a reasonable opportunity of being heard the applicant or the nursery owner, as the case may be.

Duplicate Copy of licence

9. if a licence issued under Section 4 has lost, destroyed, torn or deformed or gets unreadable by other means, the Licensing Authority shall issue a duplicate copy of the licence on submission of the application and prescribed fees by the nursery owner.

Appeal

10. (1) Any person aggrieved by any order of the Licensing Authority for refusal of licence under subsection (3) of Section 4 or refusal for renewal of licence under subsection (3) of Section 6, suspension or cancellation of licence under subsection (1) of Section 7 of the Act, may file an appeal before the Appellate Authority within 30 days from the date of communication of such order;

Provided that the Appellate Authority, if satisfied that the appellant could not file the appeal in specified period due to some reasonable cause, may accept the appeal even after the expiry of period specified in this subsection.

- (2) The Appellate Authority, may after giving an opportunity of being heard to the appellant, pass an order as he may deem fit.
- (3) Subject to the provisions of Section 11, an order passed under this section shall be final.

Power of state Government to call the records

11. The State Government, for the purpose of satisfying itself regarding the justification and validity of any order given under this Act, may suomoto or on application by any aggrieved person may call records of any matter, and examine them and pass such order as he may deem fit:

Provided that the State Government shall not exercise its power during the pendency of appeal under Section 10 of the Act or before the expiry of time prescribed for such appeal:

Provided further that if the State Government suomoto call the records of any matter, shall not give any order under this section that may adversely affect any person, until a reasonable opportunity of being heard is given to him.

Duties of the license holder	<p>12. Every licence holder/ nursery owner have duty to:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) propagate only such varieties of fruit plants, specified in the licence in respect of scion or root stocks, for production and sale, as may be directed by the Licensing Authority. (ii) keep complete records of origin or source of every root stock and scions showing, the botanical name together with local name, of the root stock, if any. (iii) keep mother block of the fruit plant and other plants, whose propagation is to be done through vegetative propagation, wherein same kind of varieties of plants shall be maintained under advanced management. (iv) vegetatively propagate only those plants and varieties for which he is having a mother tree and the maximum number of propagated plants in the nursery shall depend on the such variety / plant number in the mother block. (v) use latest approved techniques for plant propagation and follow the direction issued by the competent authority for this purpose. (vi) shall not mix the varieties/plants of propagated fruit plants. Therefore, the techniques are to be carefully followed during the propagation. (vii) keep the nursery site used for production of fruit plants and the mother trees free from insects and diseases. (viii) sale or distribute only those fruit plants which are free from any kind of insects and diseases. (ix) sale their planting materials subject to the contracts mentioned in the Act and prescribed provisions or by self declaration only.
Patent of new discoveries	<p>13. Necessary procedure shall be followed by the nursery owner for the provision of its patent on discovery of new varieties.</p>
To Maintain Account Books & Registers	<p>14. (1) Every license holder/ nursery owner shall maintain related Account Books, Registers and Records in such forms and in such a manner as may be prescribed. These records shall be safely retained for a period of 10 years.</p>
Inspection & Checking of the Nursery	<p>15. (1) The Inspection officer may inspect the nursery to ensure healthy and high quality plant production and may issue written recommendations/directions in this regard.</p> <p>(2) The Inspection officer may during inspection of nursery issue directions to destroy the infested/infected plants and trees by observing the situation of insects and pests within a prescribed time limit.</p>

- (3) If the procedure given in subsection (2) is not followed by the Inspection officer within the prescribed period, then Department may itself take action to destroy the plants and trees and all the expenses incurred so shall be borne by the nursery owner which may be recovered as recovery of the arrear of land revenue through the Revenue Department.
- (4) The proceeding under subsection (2) & (3) shall be done by a Gazetted Officer.
- (5) The licence holder / nursery owner shall in writing, provide the information regarding the availability of rainy season planting material for sale by the month of May and the information regarding the availability of winter season planting material for sale by the month of October to the Chief / District Horticulture Officer of their district.
- (6) The information as age of plants, number of plants, number of mother plants and genetic details, root stock and scion of saleable fruit plants provided by the license holder / nursery owner (if received by other fruit nursery / instructions) shall be verified at nursery level by a committee constituted by department report of which shall be provided by the Committee to the Director, Horticulture.
- (7) The digging out of plants from the nursery shall be done only after the verification of the committee, otherwise the procurement of plants shall not be considered.
- Sale, Packing & Labelling of plants** 16. (1) Each bundle of fruit plants meant for sale of fruits shall be properly packed, labelled with the name of fruit plant and varieties.
- (2) If the bundle contains more than one type of plants and varieties, each plant shall be labelled.
- (3) proper label/board shall also be affixed on Mother block.
- (4) Only one variety of plant shall be planted/propagated in one seed plot and in a small board shall be affixed in this seed plot with the name of that variety.
- (5) If the nursery owner receives any fruit plants from any other nursery of the State other than his fruit nursery for the purpose of sale, he shall be required to obtain a self-declaration from that nursery owner on a Rs. 100/- (One hundred) stamp paper stating the genetic characteristics, techniques followed, and the plants being insect and disease free.
- (6) In respect of plant material, it is mandatory for all the government and non-government nurseries established in the State to see that from whatever source they purchase plant material it should be beneficial, in case it is not beneficial, action shall be taken against them under section 18 of the Act.

Power of State Government to Regulate or Prohibit, Import, Export or Transport of certain fruit plants

17. The State Government may, for the purpose of maintaining the quality of any fruit plants grown in any part of the State or to protect them from harmful insects, pests and plant diseases, by notification, regulate or prohibit, subject to such restriction and conditions as it may specify, the bringing in to and taking out of the State and any part thereof, or the transport within the State, or any fruit plants of unknown pedigree or affected by any infectious or contagious pest and disease.

Offence & Penalty

18. (1) The Nursery owner on contravention of any provision of the Act or rules made thereunder, on first conviction shall be punished with the fine which may extend to Rs.50,000/- (Fifty thousand) and in default of payment of fine with imprisonment which may extend to Six months, and be punished on second or subsequent conviction with imprisonment which may extend to six months and fine which may extend to Rs.50,000/- (Fifty thousand). In addition to this, the nursery owner shall be liable to pay all the compensation under para 6 of Appendix-1 to the farmer. The amount of compensation shall be determined by a committee constituted under the chairmanship of Chief/District Horticulture Officer.

(2) If an offence is made by the company under this Act, the person in-charge of the operations of the company, for the time being, shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), if any offence punishable under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance or negligence of any Secretary, treasurer, Director, Manager or other officer of the company, such Secretary, Treasurer, Director, Manager or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation:-

For the purpose of this section-

- (a) Company means a corporate body and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) "Director" in relation to a firm, means the partner of that firm.

Cognizance of Offence

19. No prosecution shall be initiated except for any complaint authorized by the Licensing Authority for any offence punishable under this Act.

Powers of Licensing Authority	20.	<p>The Licensing Authority may:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) require the nursery owner to submit such information regarding the nursery in his ownership or run by him as may be specified. (2) enter in any nursery and inspect or make inspection of it and get inspected the plants in the nursery as also the account books and records related to the plants to ensure that the requirement of the Act and Rules made there under are being complied. (3) take samples of fruit plants and get make its analysis, inspection or testing in a lab assigned for this purpose.
Protection of action taken in good faith	21.	<ol style="list-style-type: none"> (1) No suit prosecution, or any other legal proceeding shall lie against any person for anything done or intended to be done in good faith under this Act or the rules made thereunder. (2) No suit or legal processing shall lie against the State Government for a injury or possible injury incurred by anything done or intended to be done in good faith under this Act or the rules made thereunder.
Training of Farmers	22.	<p>Farmers of the State shall be taken to an exposure visit to the nearby government nurseries and given training by the Department to make them aware of the horticultural activities according to the climate of a particular region, specially about the advanced techniques, fineness and characteristics to be followed during the preparation of nurseries so that if the farmers themselves wish to purchase any plants from a nursery, they may be able to buy specific and quality planting material along with a bill from the seller.</p>
Power to make Rules	23.	<ol style="list-style-type: none"> (1) The State government may, by notification, in the Official Gazette make rules to carry out the provisions of this Act and may amend rules from time to time which also includes a rule to prescribe fees for any proceeding under the Act. (2) Every rule made by a State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made before the State Legislative Assembly.
Bar on suit in the civil court	24.	<p>No any objection shall be entertained in any civil court on any order given in exercise of any power by or under this Act.</p>
Direction by the State Government	25.	<p>The Licensing Authority shall comply with the instructions of the State Government on the subject of policy related matters in respect of its duties under this Act, which the State Government may issue from time to time.</p>

Power to remove difficulties

26. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

- (2) Every order made under this Section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

Repeal and Savings

27. (1) The Uttar Pradesh Fruit Nurseries (Registration) Act, 1976 is hereby repealed.

- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

Appendix-1

SELF-DECLARATION BY NURSERY OWNER

I, Shri/Sushri/Shrimati _____ Son/daughter/wife of _____ resident of _____ declare that I will propagate and sell the fruit plants grown in my nursery under the following declarations:

1. For propagation and sale of plants, scion and root stocks of fruit plants of only those varieties shall be used by me for which the nursery has been registered and for which instructions shall be given by the Registration Authority.
2. All the records shall be maintained in the proforma provided by the Registration Authority.
3. A lay-out of root stocks and mother plants to be grown in the nursery shall be prepared by me.
4. The nursery premises along with mother plants to be used in the plants propagation shall be kept free from insects and diseases by me.
5. The varieties/plants from packed at the time of sale shall be tagged by me, wherein the root stock and scion used in the propagation of these varieties shall be clearly mentioned.
6. I also declare that the plant sold or distributed by me shall be of the same varieties for which I have made recommendations and the same shall be completely free from any insects or diseases otherwise all the compensations towards the farmer shall be borne by me. The compensation shall be determined by the committee constituted under the chairmanship of Chief/District Horticulture Officer.
7. In the nursery, a register shall be maintained by me and the names of all root stocks and scions used in propagation of fruit plants sold/distributed to any person or institution shall be mentioned in this register. The name and address of the person/Institution to which the fruit plant is sold shall also be mentioned. These registers shall be retained by me for minimum 10 years.
8. After inspection by the Registration Officer or his representative, I shall comply with the instructions given to me by him in respect of production and characteristics of healthy and disease insect's free plants.
9. I shall comply with the conditions set by the Government of Uttarakhand in respect of the recommendations for quality propagation of the plants and their sales rates.
10. I shall have no objection to any inspection by the authorities in respect of tasks being performed in my nursery such as development of mother plants, root stocks used in the propagation of plants, incidence of insects and pests, quality and genetic characteristics, growth and development of plants. I shall be ready to remove or destroy any plants affected by insects or disease if so suggested during the inspection and for this no compensation shall be claimed by me.
11. Except for the crop included in the registration of my nursery, no other crop shall be grown by me.

12. I shall comply with all the conditions and provisions given in the Uttarakhand Fruit Nurseries (Regulation) Act, 2019.
13. In case of any violation of the above declaration or of the provisions of the Uttarakhand Fruit Nursery (Regulation) Act, 2019, by me, I shall be liable for punishment as provided in the Act.

Signature of nursery owner.....

Name of nursery owner.....

Father's/husband's name of the nursery owner...

Name & address of the Nursery.....

Dated:.....

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,
Secretary.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Uttar Pradesh Fruit Nurseries (Regulation) Act, 1976, for the regulation of Fruit Nurseries, was applicable in the former State Uttar Pradesh. This act is applicable in the State of Uttarakhand at present under section 86/87 of Uttar Pradesh reorganization act, 2000.
2. In perspective of the special circumatances of the State of Uttarakhand, it is inevitable to make provision for the registration of fruit nurseries, fruit plants propagation, patent of new discoveries, sale of fruit plants etc and other provision related thereto in the State of Uttaraakhand.
3. The proposed Bill fulfils the aforesaid objective.

Subodh Uniyal
Minister